

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांकः—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / ६५६ / २०२२ दिनांक : ०२.२०२२

श्री अनूप कुमार पाठक (RJ1024), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—२००५ क्रम —०१, अलवर को दिनांक १९.०१.२०२२ से २४.०१.२०२२ तक ०६ दिनों का प्रावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री पाठक की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—२००५ क्रम —०२, अलवर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—२००५ क्रम —०१, अलवर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) १९.०२.२०२२

क्रमांकः—स्था.बी.२(४) / ११ / २०१६ / १३३०

दिनांक : १९.०२.२०२२

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—२००५ क्रम —०१, श्रीगंगानगर को उनके पत्रांक ६४ दिनांक १०.०२.२०२२ के सन्दर्भ में।
- श्री अनूप कुमार पाठक (RJ1024), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—२००५ क्रम —०१, श्रीगंगानगर।
- विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—२००५ क्रम —०२, अलवर।

सहायक रजिस्ट्रार